

## झारखण्ड सरकार ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक — 13-201/योजना/2023/ग्रा0वि0 (N) 1023 (अनु0) राँची, दिनांक 03/09/24

प्रेषक,

मंजूनाथ भजन्त्री, भा0प्र0से0  
मनरेगा आयुक्त।

सेवा में,

सभी उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
झारखण्ड।

विषय :-

बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत पौधा रोपण के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय ज्ञापांक — (N) 1017 दिनांक 02.09.2024, ज्ञापांक — (N) 977 दिनांक 23.08.2024, ज्ञापांक — (N) 947 दिनांक 14.08.2024, ज्ञापांक — (N) 924 दिनांक 08.08.2024, पत्रांक — (N) 930 दिनांक 08.08.2024, पत्रांक — (N) 901 (अनु0) दिनांक 01.08.2024, पत्रांक — (N) 873 (अनु0) दिनांक 25.07.2024, पत्रांक — (N) 686 (अनु0) दिनांक 14.06.2024 एवं पत्रांक — (N) 350 (अनु0) दिनांक 19.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लिया जाए।

बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बागवानी कार्य में गड़ड़ा खुदाई के उपरान्त ससमय पौधा रोपण हेतु गड़ड़ा भराई, जमीन घेरान के साथ पौधों में 'H' टेका लगाना अतिमहत्वपूर्ण है।

विदित हो कि विभाग द्वारा इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से निरंतर समीक्षा करने के उपरान्त भी जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो रहा है सामग्री क्रय, गड़ड़ा भराई, जमीन का घेरान, पौधों का क्रय एवं पौधा रोपण के साथ पौधों में 'H' टेका कार्य इत्यादि कार्य आशानुरूप नहीं किए जा सके हैं। कतिपय जिलों में सामग्री का क्रय भी कर लिया गया है, परन्तु अबतक पौधा रोपण कार्य अपूर्ण है।

अतः अनुरोध है कि वैसे पंचायत जहाँ सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है उन पंचायतों में शत-प्रतिशत तथा अन्य पंचायतों के लिए सामग्री यथाशीघ्र आपूर्ति करते हुए पौधारोपण कार्य पूर्ण किया जाए। आवश्यकतानुसार पलाश (जे०एस०एल०पी०एस०) एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों का सहयोग लेते हुए पौधारोपण कार्य पूर्ण करने हेतु निदेश दिया जाए।

अनुलग्नक — यथोक्त।

विश्वासभाजन,

02/09/2024

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक - 13-201/योजना/2023/ग्रा0वि0 (N) 1023 राँची, दिनांक 03/09/2024  
प्रतिलिपि - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलाश (जे०एस०एल०पी०एस०), झारखण्ड, राँची  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/09/2024  
मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक - 13-201/योजना/2023/ग्रा0वि0 (N) 1023 राँची, दिनांक 03/09/2024  
प्रतिलिपि - सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को  
सूचनार्थ प्रेषित।

03/09/2024  
मनरेगा आयुक्त।